

**लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,
2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल:-**

सैनिक कल्याण विभाग

क्र म सं०	बिन्दु	विभागीय सूचनायें
1	2	3
1.	अपने संगठन कार्यों तथा कर्तव्यों का विवरण ।	<p>1. उद्देश्य – शासन की नीति के अनुसार जो कार्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये किये जाते हैं, उन सभी कार्यों से सम्बंधित सुविधाओं का विवरण तथा उनको करने की समय सारिणी निर्धारित करना तथा ऐसे सभी कार्यों एवं सुविधाओं से जनता को अवगत कराना । उ०प्र० सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त समस्त सेवायें पूर्णतया निः शुल्क हैं । समस्त प्रपत्र इत्यादि भी निःशुल्क उपलब्ध हैं, यदि किसी अन्य कार्यालय/संस्थान का प्रपत्र इत्यादि को कोई मूल्य देना अनिवार्य है तो वह उसी कार्यालय अथवा संस्थान द्वारा क्रय किया जाएगा । यह विभाग मात्र मार्गदर्शन अथवा सम्पर्क कार्य करेगा ।</p> <p>2. विभाग का संगठन – प्रत्येक जनपद में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा लखनऊ में निदेशालय, सैनिक कल्याण ।</p> <p>3. क्रिया-कलाप :-</p> <p>(क) निदेशालय स्तर पर कार्य-कलाप – भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को स्वतः रोजगार के लिये प्रेरित करने और स्वतः रोजगार में पुर्नवासित कराने हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निम्नवत योजनायें संचालित की जा रही हैं । अधिकतर लाभान्वित कराने की कार्यवाही जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों द्वारा की जाती है । स्वतः रोजगार योजनाओं में वर्ग से विशेष कार्यवाही पालिसी पत्र भेजने से सम्बंधित है और प्रगति की मानीटरिंग करना है। कुछ योजनाओं में आवेदन पत्र निदेशालय स्तर(सेक्शन-6)से भेजे जाते हैं ।</p> <p>(ख) जिला स्तर के कार्य-कलाप – भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही योजनायें निम्नवत हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) लांग रोल में भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं का पंजीकरण । (2) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं व आश्रितों के पहचान हेतु प्रमाण-पत्र जारी करना । (3) भूतपूर्व सैनिकों को परिचय पत्र निर्गत करना । (4) सेवायोजन के लिये पंजीकरण । (5) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र निर्गत करना ।

		<p>(6) चिकित्सा सुविधा हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत करना ।</p> <p>(7) स्वतः रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त कराने में सहायता देना ।</p> <p>(8) सेना की पुरानी गाड़ियों के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्रों का प्रेषण आदि ।</p> <p>(9) पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी हेतु आवेदन पत्रों की जाँच व प्रेषण ।</p> <p>(10) डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक के लिए आवेदन पत्रों को सम्बंधित अभिलेख कार्यालयों को प्रेषित करना ।</p> <p>(11) पार्ट टू आर्डर हेतु आवेदनों का प्रेषण ।</p> <p>(12) आर्मी गुप इन्श्योरेंस फंड हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं उनकी जाँच तथा प्रेषण ।</p> <p>(13) वीरता पुरस्कार का एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान सम्बंधी कार्य</p> <p>(14) एन0ई0एफ0, स्वतः रोजगार योजना, आवेदन, जाँच व निस्तारण ।</p> <p>(15) इन्दिरा आवास योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सम्बंधित खंड विकास कार्यालय को प्रेषित करना ।</p> <p>(16) जिला दातव्य निधि से आर्थिक सहायता का आवंटन</p> <p>(17) डी0डी0-40 अभिलेख से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(18) इंडियन एयर फोर्स बेनेवोलेंट एसोसिएशन से सेवारत एवं भूतपूर्व वायु सैनिकों के आश्रितों के लिये छात्रवृत्ति से सम्बंधित प्रार्थना-पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(19) द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय पेंशन का वितरण ।</p> <p>(20) विभिन्न मदों के अन्तर्गत विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सहायता अथवा अनुदान का वितरण ।</p> <p>(21) उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि से भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को बैंक से लिये गए ऋण पर ब्याज में छूट से सम्बंधित आवेदन पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(22) उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि से भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवाओं का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(23) उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि से दिवंगत सैनिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता से सम्बंधित आवेदन पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(24) उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि से विशेष आर्थिक सहायता से सम्बंधित आवेदन पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(25) उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि से भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों के आश्रितों को शैक्षिक सहायता हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण ।</p> <p>(26) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की</p>
--	--	---

		पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता से सम्बंधित आवेदन पत्रों का प्रेषण ।
--	--	--